POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति – दिनांक 31.03.2024

1.थाना दादरी पुलिस द्वारा चोरी के टैम्पो में अवैध देशी शराब की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का टैम्पो व 12 पेटी अवैध देशी शराब बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 31.03.2024 को वादी वर्तमान निवासी वेद विहार कॉँलोनी, दादरी, गौतमबुद्धनगर द्वारा थाना दादरी पर लिखित तहरीर देकर अज्ञात चोरो द्वारा वादी का इलेक्ट्रिक ऑटो रजिस्टेशन नम्बर यूपी 16 एमटी 1597 महेन्द्रा कम्पनी चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 154/2024 धारा 379 भादवि पंजीकृत कराया गया था।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 31.03.2024 को थाना दादरी पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व लोकल इंटेलिजेंस की सहायता से 02 शातिर चोर 1.अनुज पुत्र ब्रह्मपाल 2.गौरव शर्मा पुत्र रामपाल शर्मा को चोरी के इलेक्ट्रिक ऑटो रजिस्टेशन नम्बर यूपी 16 एमटी 1597 व उसमें रखी 12 पेटी अवैध देशी शराब के साथ एनटीपीसी कट दादरी से **गिरफ्तार** किया गया। अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि यह ऑटो उनके द्वारा 29.30/03/2024 की रात्रि को वेद विहार कॉलोनी दादरी से चोरी किया गया था जिससे वह अवैध शराब रखकर बेचने जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. अनुज पुत्र ब्रह्मपाल निवासी ग्राम पावी, थाना टोनिका सिटी, जिला गाजियाबाद।
2. गौरव शर्मा पुत्र रामपाल शर्मा निवासी ग्राम डुगरपुर रीलखा, थाना दनकौर, जिला गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 154/2024 धारा 379/411 भादवि थाना दादरी, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 155/2024 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना दादरी, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 01 ऑटो रजि0नं0 यूपी 16 एमटी 1597
2. टैम्पो में रखी 12 पेटी अवैध देशी शराब

2.थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा मोबाईल फोन पर विडियो कॉल कर, अश्लील विडियो बनाकर, विडियो को वायरल करने की धमकी देकर पैसे की मांग कर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना/कार्यवाही का विवरण-- थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा दिनाँक 22-03-2024 की रात्रि में मृतक शिवांश महेन्द्रा पुत्र अनुज महेन्द्रा निवासी 204 टावर 10 ग्रान्ड फोर्टअपार्टमेन्ट सिग्मा 4 के मोबाईल फोन पर विडियो कॉल के दौरान अश्लील विडियो बनाकर विडियो वायरल करने की धमकी देकर अवैध धन की मांग की गयी थी जिस पर मृतक शिवांश द्वारा सोसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना बीटा पर मु0अ0सं0 119/24 धारा 306 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ था। जिसका सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त 1. अमित बर्मन पुत्र अनिल बर्मन पता- सी- 399 हंसमार्ग मालवीय नगर जयपुर उम्र 26 वर्ष, 2. संजीव बदौतिया पुत्र राजेन्द्र कुमार बदौतिया निवासी 6/61 हरिमार्ग मालवीय नगर जयपुर उम्र-23 वर्ष को दौराने दबिश व तलाश मालवीय नगर जयपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तगण का एक गिरोह है अमित बर्मन, संजीव बतौतिया, तौफिक व एक अन्य व्यक्ति इस गिरोह के सदस्य है दिनाँक 22-03-2024 की रात्रि में मृतक शिवांश उपरोक्त के मोबाईल फोन पर एक मोबाईल नम्बर से वाट्सऐप विडियो कॉल की गयी जिसमें अभियुक्तो द्वारा विडियो कॉल के दौरान शिवांश की अश्लील फोटो व विडियो बना ली गयी। जिसे वायरल करने के नाम पर शिवांश से लगभग 25 हजार रुपये बैंक खातो में ट्राँसफर कराये गये। उक्त अभियुक्तगण द्वारा 25 हजार रुपये ट्राँसफर करवाने के बाद मृतक से और अधिक पैसो की डिमाण्ड की गयी। डिमाण्ड पूरी न कर पाने व अपनी इमेज को बचाने के चलते मृतक ने उसी रात आत्महत्या कर ली जिसका शव दिनाँक 23-03-2024 को ढकिया बाबा गोल चक्कर के पास नाले में मिला था। घटना के सम्बन्ध में परिजनों की तहरीर पर मु0अ0स0 119/2024 धारा 306 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया व अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिये टीम का गठन किया गया। विवेचना में साक्ष्य संकल्न के आधार पर अभियुक्त अमित बर्मन, संजीव बतौतिया, तौफिक व एक अन्य अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया तथा अभियोग में धारा 420,120 बी भादवि की बढौत्तरी की गयी। **दिनांक 31.03.2024** को अभियुक्त अमित बर्मन व संजीव बदौतिया को मालवीय नगर जयपुर राजस्थान से **गिरफ्तार** किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. अमित बर्मन पुत्र अनिल बर्मन पता-सी- 399 हंसमार्ग मालवीय नगर जयपुर उम्र 26 वर्ष,
2. संजीव बदौतिया पुत्र राजेन्द्र कुमार बदौतिया निवासी 6/61 हरिमार्ग मालवीय नगर जयपुर उम्र-23 वर्ष,

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0स0 119/24 धारा 306/420/120 बी भादवि थाना बीटा 2 गौतमबुद्धनगर।